आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Gujarat Labour Welfare Board (Labour, Skill Development and Employment Department)

Go Green Shramik Scheme

गुजरात श्रमयोगी कल्याण बोर्ड हाई स्पीड बैटरी चालित दोपहिया खरीदने वाले औद्योगिक श्रमिकों को एक बार की सब्सिडी देता है, जो कीमत और आरटीओ करों का एक हिस्सा कवर करती है।

क्या मिल सकता है

एक्स-शोरूम कीमत का 30% या 30,000 रुपये, जो भी कम हो, की एक बार मिलने वाली सब्सिडी, साथ में दोपहिया के आरटीओ पंजीकरण कर, रोड टैक्स और शुल्क में मदद। सब्सिडी सीधे सूचीबद्ध कंपनी या उसके अधिकृत डीलर के बैंक खाते में जाती है।

किसके लिए है

गुजरात के औद्योगिक श्रमिक, जो पात्र हाई स्पीड बैटरी चालित दोपहिया खरीदते हैं।

मुख्य शर्तें

- वाहन हाई स्पीड बैटरी चालित दोपहिया का ऐसा मॉडल होना चाहिए जो भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना में पंजीकृत हो।
- केवल वे मॉडल पात्र हैं जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रावधानों के अनुसार बने हों।
- सब्सिडी केवल एक बार मिलती है, और वह एक्स-शोरूम कीमत के 30% या 30,000 रुपये, जो भी कम हो, तथा आरटीओ करों तक सीमित है।
- बोर्ड योजना के तहत वाहन कंपनियों को सूचीबद्ध करता है, और सब्सिडी सूचीबद्ध कंपनी या उसके अधिकृत डीलर को दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड के योजना पृष्ठ पर दिए गए गो ग्रीन आवेदन लिंक पर जाएं, जो gogreenglwb.gujarat.gov.in पोर्टल पर ले जाता है।
2. पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें, फिर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल अपडेट करें।
3. योजना चुनें, आवेदन करें और आवेदन जमा करें।
4. अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 155372 पर कॉल करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://glwb.gujarat.gov.in/go-green-scheme.htm
आधिकारिक आवेदन: https://gogreenglwb.gujarat.gov.in
आधिकारिक PDF: https://glwb.gujarat.gov.in/Portal/Document/6_550_1_Expression_of_Interest_for_Empanelment_of_OEMs_under_Go_Green_Scheme_2026.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-go-green-shramik/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।